Skill Development and Industrial Training Department
Haryana, Chandigarh.
Phone: 0172-2563005, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

सेवा में,

सहायक शिक्षुता सलाहकार/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, भोडिया खेडा, कैथल, जीन्द, नारनौल, नूंह, पंचकुला, रिवाडी, कुरूक्षेत्र, झज्जर एट गुढा, पलवल, सिरसा, तथा यमुनानगर।

यादि कमाकः- KC/T/APP/Target/2017/ 770 दिनांकः– 19-05-2017

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को लागू करने बारे।

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

निदेशालय द्वारा शिक्षुता योजना के तहत आपको आबंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप द्वारा अपने जिले के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शिक्षुता अमले को लक्ष्य वितरित किए गए है तथा ये कर्मचारी इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतू प्रतिष्ठानों का दौरा करने उपरांत व्हाट्सअप ग्रुप में दैनिक प्रगति रिर्पोट भेज रहे हैं।

दैनिक प्रगति रिर्पोटों के अध्ययन से यह विदित हुआ है कि शिक्षुता योजना में कार्यरत कर्मचारी छोटी वर्कशाप, दुकानों आदि का दौरा कर रहे हैं जहां पर शिक्षुता योजना लागू करने के लिए संभावनाएं कम है। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों ने योजना की विस्तृत जानकारी न होने बारे भी सूचित किया है। इसके मद्देनजर आपको निर्देश दिए जाते हैं कि:

1. निदेशालय द्वारा आपको Excel Sheet में प्रतिष्ठानों की सूची विस्तृत विवरण सहित भेजी गई है, इस सूची में दिए गए प्रतिष्ठानों को अपने जिले में एरिया वाईज छंटनी कर उस एरिया में कार्यरत शिक्षुता कर्मचारी को उसके एरिया की सूची देवें तथा उसे निर्देश जारी करें कि सर्वप्रथम इस सूची में वर्णित प्रतिष्ठानों का दौरा करें। दौरा पूरा करने उपरांत सूची अनुसार प्रतिष्ठानों का विवरण अपडेट करे व प्रगति का लिखित रिकार्ड बना कर रखें।
2. सभी सहायक शिक्षुता सलाहकार, शिक्षुता कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यो की नियमित निगरानी करें तथा प्रगति में सुधार के लिए उनके साथ बैठक कर उनका नियमित मार्गदर्शन करें।
3. प्रत्येक सहायक शिक्षुता सलाहकार अपने जिले में शिक्षुता के लिए कार्य कर रहे कर्मचारियों को 'शिक्षुता प्रशिक्षण योजना' एवं 'राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' के तहत प्रावधानों की जानकारी देने एवं पोर्टल का प्रशिक्षण देने के लिए आगामी सात दिन के भीतर संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

उपरोक्त की दृढता से पालना की जाए तथा की गई कार्यवाही बारे निदेशालय को सूचना भेजी जाए।

संजीव शर्मा
19-05-17
उप–शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः राज्य शिक्षुता सलाहकार,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

C.C.:

- PA to SAA/DSDIT.
- Nodal officer website